तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील संख्या 104/2025 बउनवान नगाराम वगैरह बनाम उदाराम वगैरह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी– श्री नवनीत कुमार, आई. ए. एस.

–:आदेश:–

दिनांक 27.10.2025

उपस्थितिः–

1. अपीलांटगण की तरफ से अधिवक्ता श्री राणाराम गौड़।
2. रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। रेस्पों. बावजूद सूचना अनुपस्थित। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त संलग्न है। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांटगण ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट द्वारा एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मौजा देवपुरा, पटवार हल्का धारणा के खसरा संख्या 181 रकबा 05.6556 हेक्टेयर भूमि के संबंध में प्रस्तुत किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी/अपीलांट के पक्ष में न्यायहित में दिनांक 25.05.2025 को अपीलाधीन आदेश पारित किया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 24.07.2025 को अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो विधि संगत नहीं है। अपीलांट हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का रेकार्डेड खातेदार है। अधीनस्थ न्यायायल में अपीलांट का मूल वाद विचाराधीन है मूल वाद के विचारण में रहते हुए अपीलाधीन आदेश का फायदा उठाकर रेस्पों. द्वारा हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी खुर्द–बुर्द की जाती है तो अपीलांट के उक्त मूल वाद का मकसद ही समाप्त हो जाएगा व अपीलांट को अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी भरपाई की जानी संभव नहीं है। उक्त तथ्यों को अनदेखा करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधि से विपरीत होने से खारिज योग्य है। क्योंकि हस्तगत प्रकरण की वादग्रस्त आराजी का अपीलांट काबिज–काश्त है। रेस्पोडेंटगण अपीलाधीन निर्णय की अपीलाधीन आराजी से जबरन बेदखल करने पर प्रयासरत हैं तथा रेस्पोडेंटगण द्वारा अपीलांटगण के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप किया जा रहा है जिससे अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में किया जाना सम्भव नहीं है। मामला प्रथम दृष्टया एवं सुविधा का संतुलन अपीलांटगण के पक्ष में हैं। अतः अपीलांटस की अपील को स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता अपीलांट की पत्रावली पर बहस सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि हस्तगत अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रार्थना–पत्र में पारित आदेश के विरूद्ध पेश की गई। मूल वाद अधीनस्थ न्यायालय के

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

समक्ष विचाराधीन है। उभयपक्षकारान के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर ही संभव है। विधि अनुसार रेकार्डेड खातेदार को स्थगन से पांबद किया जाना उचित नहीं है। मूल दावे के विचारण में रहते अपील के स्तर पर अपीलाधीन आदेश में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की हस्तगत अपील खारिज करने योग्य ठहरती है। लिहाजा अपीलांटगण द्वारा पेश अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। उक्तानुसार पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय प्रति प्रेषित की जावे। आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही हेतु पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

27/01/2025

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नवनीत कुमार)
राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर